महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना
(मनरेगा)

योजना का प्रारम्भ :–

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार के महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम की धारा – 4.1 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना प्रख्यापित की गई है। यह योजना जनपद में तृतीय चरण के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 से लागू की गई है।

योजना का उद्देश्य :–

ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को, जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तैयार हैं, एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित कराना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई परिसम्पत्ति का सृजन।

संसाधन :–

योजना में भारत सरकार का 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का 25 प्रतिशत अंश है।

योजना की मुख्य विशेषतायें :–

1– जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत समस्त ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य इस योजना में लाभ लेने हेतु पात्र हैं।

2– एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने के लिए **''एक परिवार''** पात्र होगा

3– 100 दिन के रोजगार की उपलब्धता को परिवार में निवासरत समस्त वयस्क व्यक्तियों के बीच विभाजित किया जा सकता है, अर्थात एक पंजीकृत परिवार के समस्त वयस्क व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं, 100 दिन की सीमा के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

4– परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है।

5– स्थानीय ग्राम पंचायत में परिवार को पंजीकृत कराया जाना आवश्यक होगा।

6– ग्राम पंचायत से परिवार का जॉब कार्ड प्राप्त करना होगा।

7– जॉब कार्ड के आधार पर अकुशल मानव श्रम करने हेतु निर्धारित प्रारुप पर आवेदन देना होगा।

8– अकुशल मानव श्रम करने के इच्छुक हों।

9– ऐसी महिलायें जो पंजीकृत हैं तथा रोजगार हेतु आवेदन करती हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाएगी।

10– पंजीकृत एवं कार्य हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों में से कम से कम एक तिहाई महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु सुनिश्चित किया जाएगा।

11– यदि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत अपंग व्यक्ति आवेदन करता है तो उसे उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाएगा।

मुख्य कियाकलाप :–

1– जल संरक्षण एवं जल संचय।

2– सूखारोधन ।

3– लघु सिंचाई कार्य।

4– अुनसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ इन्दिरा आवास/लघु सीमान्त कृषक को भूमि सुधार के लाभार्थियों की जमीन के लिए सिंचाई की व्यवस्था जिनके पास नरेगा जॉबकार्ड होना आवश्यक है एवं उस लाभार्थी को अपनी जमीन पर स्वयं भी कार्य करना होगा।

5– परम्परागत जल राशियों का पुर्ननवीनीकरण।

6– भूमि विकास।

7– बाढ़ नियंत्रण और बचाव।

8– ग्रामीण सड़कों का निर्माण।

9— ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कोई अन्य गतिविधि।

विगत 04 वर्षों में 77.79 लाख जॉबकार्ड धारकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है :—

क्र0स0	वर्ष	रोजगार उपलब्ध मानव दिवस लाख में
1	2012—13	18.41
2	2013—14	28.37
3	2014—15	12.36
4	2015—16	18.65